"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 19-1/2009/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में राजपत्रित एवं अराजपत्रित सेवा से संबंधित समस्त विभागीय सेवा भर्ती नियमों में इस प्रभाव का संशोधन करते हैं कि आयु सीमा की गणना उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस के आधार पर की जायेगी, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है तथा राजपत्रित एवं अराजपत्रित सेवा से संबंधित समस्त विभागीय सेवा भर्ती नियम, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तद्नुसार संशोधित हो जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 जून 2013

क्रमांक एफ 19-1/2009/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-1/2009/1/3 दिनांक 21 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 21st June 2013

NOTIFICATION

No. F 19-1/2013/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the consitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes amendments in all departmental service recruitment rules relating to gazetted and non-gazetted service in the State of Chhattisgarh to the effect that the age limit shall be calculated/ counted on the basis of 1st January of the year in which the advertisement for the post is published and all departmental service recruitment rules relating to gazetted and non-gazetted service shall stand amended accordingly, from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.